



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर अवैध गांजा की तस्करी करने वाले अभियुक्त को 30 दिवस के कारावास व ₹ 9000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कुरारा में पंजीकृत मु०अ०सं०-149/2003 धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय सीजेएम कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त छोटेलाल उर्फ छोटेलाला पुत्र मइयादीन उर्फ दामोदर तिवारी नि० भौली थाना कुरारा जनपद हमीरपुर को 30 दिवस के कारावास व ₹9000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



एपीओ श्री अमर
जायसवाल



विवेचक-
उ०नि० श्री आरपी
मौर्य



पैरोकार- थाना कुरारा
का० अनिल कुमार